www.researchvidyapith.com ISSN (Online): 3048-7331

Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal

(An Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)

(Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage)

* Vol-1* *Issue-5* *December 2024*

प्रधानमंत्री जन–धन योजना एवं समावेशी प्रभाव

डॉ0 कृष्ण कुमार

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय सुकरौली, कुशीनगर, उ0 प्र0

सार

वित्तीय समावेशन की अवधारणा के रूप में, प्रधान मंत्री जन–धन योजना भारत में 28 अगस्त 2014 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को बैंकों से जोड़ना और उन्हें अपनी छोटी बचत से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए वित्तीय साक्षरता प्रदान करना था। इस योजना को वित्तीय समावेशन की नई आधारशिला माना गया। पीएमजेडीवाई को आर्थिक रूप से वंचित लोगों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सफल रही। यह ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर निर्भर था क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी अच्छी पहुंच है। पीएमजेडीवाई वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। पीएमजेडीवाई के उद्घाटन दिवस पर 15 मिलियन बैंक खाते खोले गए। यह योजना कम आय वाले लोगों के लिए मददगार है क्योंकि वे आसानी से बैंक खाता खोल सकते हैं और बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। पीएमजेडीवाई बैंक खाताधारकों को रुपे डेबिट कार्ड भी प्रदान किया जाता है जिसका उपयोग भुगतान और खरीदारी के लिए किया जा सकता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इस उपलब्धि को मान्यता देते हुए कहाः "23 से 28 अगस्त, 2014 तक भारत सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन अभियान के एक भाग के रूप में एक सप्ताह में सबसे अधिक 1,80,96,130 बैंक खाते खोले गए। इस पत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन–धन योजना एवं इसके समावेशी प्रभाव का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य–शब्द– प्रधानमंत्री जन–धन योजना, वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण।

परिचय

वित्तीय समावेशन भारत सरकार का एक दीर्घकालिक लक्ष्य रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक नागरिक को बुनियादी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हो। इस दृष्टिकोण के अनुरूप, पीएमजेडीवाई को 2014 में लॉन्च किया गया था। पीएमजेडीवाई का पूर्ण रूप प्रधान मंत्री जन–धन योजना है। इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य देश के प्रत्येक परिवार को एक बैंक खाता प्रदान करना है, विशेष रूप से समाज के बैंकिंग सुविधा से वंचित वर्गों को लक्षित करना है। पीएम जन–धन योजना केवल जन धन खाते खोलने के बारे में नहीं है, बल्कि विभिन्न वित्तीय सेवाओं और लाभों के साथ व्यक्तियों को सशक्त बनाने के बारे में भी है।

पीएम जन–धन योजना की मुख्य विशेषताएं

प्रधान मंत्री जन–धन योजना को 'सबका साथ, सबका विकास' यानी समावेशी विकास के दर्शन के साथ "वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन" के रूप में लॉन्च किया गया था। पीएमजेडीवाई के तहत प्राप्त प्रारंभिक उपलब्धियां असाधारण थीं, इतनी कि इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स (एक सप्ताह में अधिकतम संख्या में बैंक खाते खोलने के लिए) द्वारा मान्यता दी गई थी। हालाँकि, केवल बैंक खाते खोलने से वित्तीय समावेशन सुनिश्चित नहीं होता।[1] वित्तीय समावेशन का असली सार इस तथ्य में निहित है कि बैंकिंग क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं तक देश के प्रत्येक सदस्य की पहुँच होती है। बैंक खाते का मालिक होना यह नहीं दर्शाता है कि खाते

का पर्याप्त उपयोग किया गया है।[2] बैंक शाखाओं की निकटता की कमी, या अन्य मनोवैज्ञानिक और भौतिक जैसी बाधाएं, बैंक खाता होने के बावजूद लोगों के वित्तीय बहिष्कार का कारण बन सकती हैं। इस प्रकार, वित्तीय समावेशन एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ केवल एक बैंक खाता होना नहीं है, बल्कि यह उस आवृत्ति और दक्षता को मापता है जिसके साथ लाभार्थियों द्वारा बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग किया जाता है।[3]

वित्तीय समावेशन तीन मुख्य कारणों से भारत में नीति निर्माताओं का ध्यान आकर्षित कर रहा है। सबसे पहले, बचत की आदत विकसित करने के लिए (कम आय वाले लोगों के लिए) एक मंच प्रदान करना। दूसरा, बैंक रहित आबादी के लिए किफायती औपचारिक क्रेडिट चैनल बनाना और तीसरा, सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रमों में लीक और अंतराल को बंद करना।[4] तदनुसार, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में पीएमजेडीवाई योजना के माध्यम से वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए एक कदम उठाया गया था। इस योजना ने न्यूनतम दस्तावेज़ीकरण के माध्यम से शून्य शेष खातों की पेशकश की, जिसके कारण इसे गरीब और निराश्रित परिवारों को आकर्षित करने में बड़े पैमाने पर सफलता मिली। इस योजना में बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों तक पहुंच बनाने के लिए बैंकिंग आउटलेट और एटीएम5 खोलना भी शामिल था।[5] इस योजना की सफलता के लिए बैंकिंग क्षेत्र को पूरे भारत में वित्तीय सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों को संचालित करने और इष्टतम ढंग से नियोजित करने की उनकी क्षमता में कुशल होना आवश्यक है।[6]

किसी राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि के लिए बेकिंग क्षेत्र की दक्षता महत्वपूर्ण है। किसी अर्थव्यवस्था के विकास में प्रगति वांछनीय है क्योंकि इससे सरकार को देश की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने में मदद मिलेगी।[7] वित्तीय सेवा उद्योग के बढ़ते प्रतिस्पर्धी माहौल में, कम दक्षता वाले बैंकों की तुलना में उच्च दक्षता वाले बैंकों के लिए जीवित रहने की संभावना अधिक होगी।[8] इसके अलावा, बैंकिंग क्षेत्र की खराब दक्षता के कारण काफी प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। वर्तमान में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र जिस दक्षता के स्तर पर काम कर रहा है, उसकी समझ अत्यंत आवश्यक है। मापने की क्षमताएं मेट्रिक्स स्थापित करने में महत्वपूर्ण हो सकती हैं जो पीएमजेडीवाई आवश्यकताओं को ताज़ा करने में सहायता कर सकती हैं।[9]

हालाँकि पीएमजेडीवाई योजना ने शुरुआत में बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन इसने मुख्य रूप से ग्रामीण आबादी के बीच बड़ी संख्या में निष्क्रिय खातों और वित्तीय निरक्षरता जैसी चुनौतियों को भी सामने लाया है।[10] इसमें पीएमजेडीवाई के माध्यम से बैंक रहित आबादी को औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र में लाने में बैंकों द्वारा हासिल की गई सफलता की सीमा को समझने के लिए एक जांच की आवश्यकता है। इसलिए, वर्तमान अध्ययन में पीएमजेडीवाई कार्यक्रम के तहत वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में भारतीय बैंकों की दक्षता की जांच करने का प्रयास किया गया है। पीएमजेडीवाई योजना वर्ष 2014 में शुरू की गई थी, और अभी तक इस मेगा योजना के तहत हुई प्रगति की व्याख्या करने वाले अध्ययन बेहद सीमित हैं। इरादा पीएमजेडीवाई योजना के तहत बैंकिंग सेवाओं की पहुंच का विस्तार करने के संदर्भ में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन करना है। भारतीय बैंकों की दक्षता के वर्तमान स्तर के अध्ययन से उन सीमाओं का पता चलेगा जिन्हें सरकार, नियामक निकायों और बैंक मालिकों को 'पिरामिड के निचले स्तर' से संबंधित लोगों सहित सभी के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए दूर करने की आवश्यकता है।

पीएम जन धन योजना योजना प्रमुख विशेषताओं के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है। सबसे पहले, यह शून्य–शेष बचत खाते प्रदान करता है, न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता को हटाता है और सभी के लिए बुनियादी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को सक्षम बनाता है। यह समावेशिता आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली रही है। दूसरे, यह योजना रुपे डेबिट कार्ड प्रदान करती है, जिससे नकदी रहित लेनदेन और एटीएम निकासी की सुविधा मिलती है। यह वित्तीय लेनदेन में सुविधा, सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ावा देकर सरकार की डिजिटल अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

इसके अतिरिक्त, पीएम जन धन योजना वित्तीय साक्षरता और शिक्षा पर जोर देती है। यह अप्रत्याशित घटनाओं के खिलाफ कवरेज के लिए बीमा योजनाओं तक पहुंच प्रदान करता है और पात्र खाताधारकों को वित्तीय सुरक्षा जाल के रूप में ओवरड्राफ्ट सुविधाएं प्रदान करता है। वित्तीय सेवाओं को शिक्षा और सशक्तिकरण के साथ जोड़कर, पीएमजेडीवाई व्यक्तियों को अपने वित्त का प्रबंधन करने और सूचित निर्णय लेने के लिए उपकरणों से लैस करता है। इस व्यापक दृष्टिकोण ने लाखों लोगों को औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र में लाया है, जिससे समावेशी विकास और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है।

पीएम जनधन योजना के लाभ

पीएमजेडीवाई योजना ने भारत में वित्तीय समावेशन पर एक बड़ा प्रभाव डाला है, जिससे लाखों बैंक रहित व्यक्तियों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाया गया है। इससे होने वाले उल्लेखनीय लाभ निम्नलिखित हैं–

1. **वित्तीय समावेशन में वृद्धि**– पीएमजेडीवाई ने लाखों बैंक रहित व्यक्तियों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में सफलतापूर्वक लाया है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है और अनौपचारिक चैनलों पर निर्भरता कम की है।
2. **पारदर्शी वित्तीय लेनदेन**– इस योजना ने व्यक्तियों को औपचारिक बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करके, नकद लेनदेन के प्रचलन को कम करके वित्तीय लेनदेन की पारदर्शिता में योगदान दिया है।
3. **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण**– पीएमजेडीवाई ने व्यक्तियों के बैंक खातों में सरकारी सब्सिडी और कल्याणकारी लाभों के सीधे हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की है, बिचौलियों को खत्म किया है और लाभों की लक्षित डिलीवरी सुनिश्चित की है।
4. **बीमा कवरेज**– पीएमजेडीवाई के तहत, व्यक्तियों को बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है, जिससे उन्हें अप्रत्याशित घटनाओं या आपात स्थिति के मामले में वित्तीय सुरक्षा मिलती है।
5. **क्रेडिट सुविधाओं तक पहुंच**– पीएमजेडीवाई ने व्यक्तियों के लिए क्रेडिट सुविधाओं तक पहुंच आसान बना दी है, जिससे वे उद्यमशीलता गतिविधियां शुरू करने, अपने व्यवसायों में निवेश करने और अपनी आजीविका में सुधार करने में सक्षम हो गए हैं।
6. **गरीबी में कमी**– बचत को बढ़ावा देने और व्यक्तियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करके, पीएमजेडीवाई ने गरीबी को कम करने और व्यक्तियों और उनके परिवारों की आर्थिक भलाई में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
7. **आर्थिक विकास**– पीएमजेडीवाई को व्यापक रूप से अपनाने से धन को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में प्रवाहित करके देश के समग्र आर्थिक विकास में योगदान दिया गया है, जिसका उपयोग उत्पादक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

पीएमजेडीवाई योजना ने व्यक्तियों के जीवन और समग्र रूप से अर्थव्यवस्था पर परिवर्तनकारी प्रभाव डाला है, जिससे वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत हुई है।

पीएम जनधन योजना का प्रभाव

पीएम जन धन योजना का भारत के वित्तीय परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अपने लॉन्च के बाद से, पीएमजेडीवाई ने देश भर में लाखों बैंक रहित व्यक्तियों तक पहुंच बनाकर परिवर्तन की लहर ला दी है।

1. **महिला सशक्तिकरण**– इन जन धन खातों का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत महिलाओं का है, जो उन्हें सशक्त बनाता है और वित्तीय क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है।
2. **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण**– पीएमजेडीवाई ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकारी सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाएं लक्षित लाभार्थियों तक कुशलतापूर्वक पहुंचती हैं, जिससे रिसाव और भ्रष्टाचार कम होता है।
3. **ग्रामीण वित्तीय समावेशन**– दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता ने ग्रामीण आबादी के लिए वित्तीय पहुंच में सुधार किया है, जिससे उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने और अपने वित्त को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की अनुमति मिली है।
4. वित्तीय साक्षरता– वित्तीय साक्षरता और जागरूकता पर पीएमजेडीवाई के फोकस ने व्यक्तियों की वित्तीय उत्पादों के बारे में समझ को बढ़ाया है और उन्हें बचत करने, निवेश करने और सूचित वित्तीय निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया है।
5. **बीमा कवरेज**– यह योजना अप्रत्याशित घटनाओं के समय व्यक्तियों और उनके परिवारों को सुरक्षा जाल प्रदान करते हुए बीमा कवरेज तक पहुंच प्रदान करती है।
6. **बचत को प्रोत्साहित करना**– पीएमजेडीवाई ने बचत और वित्तीय स्थिरता की संस्कृति को बढ़ावा देते

हुए व्यक्तियों को जन धन खाते खोलने और सुरक्षित और विनियमित वातावरण में अपना पैसा बचाने के लिए प्रोत्साहित।

भारतीयों को वित्तीय समावेशन प्रदान किया है, उन्हें सशक्त बनाया है और उनकी वित्तीय भलाई में सुधार किया है।

आगे बढ़ने का रास्ता

जबकि पीएमजीकेवाई नकद हस्तांतरण महामारी के आर्थिक प्रभाव का जवाब देने के लिए सही दिशा में एक कदम है, अध्ययन के निष्कर्ष भविष्य में ऐसी आपात स्थितियों से अधिक कुशलता से निपटने के लिए सुधार के क्षेत्रों का संकेत देते हैं। अध्ययन ने निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की जहां आगे की नीतिगत कार्रवाई की आवश्यकता हैः

प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करनाः अध्ययन के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि कई महिला लाभार्थी थीं जिन्हें सभी तीन महीनों के लिए नकद हस्तांतरण नहीं मिला, जिससे योजना के समग्र कार्यान्वयन के बारे में चिंताएं बढ़ गईं। मौजूदा साहित्य के आंकड़ों से यह भी उजागर हुआ कि कैसे महामारी के दौरान आय के नुकसान की भरपाई के लिए नकद हस्तांतरण अपर्याप्त हो सकता है। यह संभव है कि पीएमजीकेवाई के तहत प्रदान की गई नकद हस्तांतरण की राशि की अपर्याप्तता के साथ–साथ इसके सभी तीन महीनों के लिए जमा न होना, अधिकांश महिला उत्तरदाताओं द्वारा की गई प्रमुख वित्तीय गतिविधि होने के कारण निकासी का कारण हो सकता है। अन्य वित्तीय गतिविधियों जैसे निवेश या जमा के लिए। सरकार यह पुष्टि करने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार कर सकती है कि सभी लाभार्थियों को इच्छित अवधि के लिए नकद हस्तांतरण प्राप्त हुआ है। इसमें ऐसे नकद हस्तांतरण के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निर्दिष्ट केंद्रों के माध्यम से इच्छित प्राप्तकर्ताओं को फोन कॉल करना, रसीद की पुष्टि करने और किसी भी चुनौती के मामले में लाभार्थियों की सहायता के लिए घर–घर सेवाएं लेने के लिए बीसी नेटवर्क का लाभ उठाना और ऑनलाइन/ऑनलाइन स्थापित करना शामिल हो सकता है। ऑफ़लाइन शिकायत निवारण चैनल जिसमें लाभार्थी न मिलने की स्थिति में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सरकार नकदी हस्तांतरण की राशि की पर्याप्तता निर्धारित करने के लिए नागरिकों के कमजोर समूहों की आय पर महामारी जैसी घटनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन करने पर भी विचार कर सकती है। महिला व्यवसाय संवाददाताओं को प्रशिक्षण और तैनात करनाः जैसा कि एफआई द्वारा संकेत दिया गया है, महिला ग्राहकों को महिला बीसी के साथ उच्च स्तर का आराम महसूस होता है। महिला ग्राहकों द्वारा अधिक वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए बीसी के लिए लिंग–विशिष्ट प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, अधिक महिला बीसी की तैनाती महिलाओं के वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

महिला केंद्रित वित्तीय सेवाओं और उत्पादों को डिजाइन करनाः अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश एफआई ने माना कि वित्तीय सेवाओं और उत्पादों का लाभ उठाने में महिलाओं की अलग–अलग ज़रूरतें और विचार हैं। इसलिए, महिला–केंद्रित उत्पादों के व्यावसायिक मामले पर एफआई द्वारा अधिक शोध किया जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अध्ययन के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि लॉकडाउन के दौरान अधिकांश वित्तीय संस्थानों द्वारा निम्न–मध्यम आय वर्ग की महिला ग्राहकों के लिए ऐसे उत्पाद विकसित या पेश नहीं किए गए थे। महिलाओं के बीच डिजिटल वित्तीय सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देनाः अध्ययन के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि फोन तक पहुंच होने के बावजूद, महिला उत्तरदाताओं ने या तो इसका उपयोग वित्तीय लेनदेन के लिए नहीं किया और जिन्होंने अपने फोन का उपयोग करके कुछ वित्तीय लेनदेन किए, मुख्य्य रूप से इसका उपयोग बुनियादी वित्तीय गतिविधियों जैसे खाते की शेष राशि की जाँच तक सीमित कर दिया गया। इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि महिलाओं द्वारा डिजिटल वित्तीय सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लक्षित कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए।

निष्कर्ष

पीएम जन धन योजना ने भारत में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य में क्रांति ला दी है। बैंकिंग सेवाओं, बीमा कवरेज और क्रेडिट सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करके, पीएमजेडीवाई ने लाखों बैंक रहित व्यक्तियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाया है, उन्हें सशक्त बनाया है और राष्ट्र के समग्र विकास में योगदान दिया है। वित्तीय

समावेशनः पीएमजेडीवाई ने पूरे भारत में लाखों बैंक रहित व्यक्तियों को बैंकिंग सेवाओं, बीमा कवरेज और ऋण सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सशक्तिकरण और विकासः इस योजना ने वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच में सुधार करके, उन्हें बचत करने, निवेश करने और उद्यमशीलता गतिविधियां शुरू करने में सक्षम बनाकर व्यक्तियों को सशक्त बनाया है। यह, बदले में, राष्ट्र के समग्र विकास में योगदान देता है। सतत विकासः पीएमजेडीवाई ने गरीबी को कम करके, बचत को बढ़ावा देने और उद्यमिता को बढ़ावा देकर समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास की नींव रखी है। इसने लाखों लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाया है, अनौपचारिक चैनलों पर निर्भरता कम की है और वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है।

निरंतर प्रयासः पीएमजेडीवाई के कार्यान्वयन को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रखना महत्वपूर्ण है कि वित्तीय समावेशन का लाभ देश के हर कोने तक पहुंचे। वित्तीय समावेशन को अपनाकर, हम सभी के लिए एक मजबूत, अधिक लचीली और समावेशी अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं।

संदर्भ—

1. सरमा, एम. 2016,एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए वित्तीय समावेशन को मापना, एशिया में वित्तीय समावेशन में (पृ. 3—34)। लंदनः पालग्रेव मैकमिलन.
2. केम्पसन, ई., एटकिंसन, ए., और पिल्ले, ओ. 2004. विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय बहिष्कार के लिए नीति स्तर की प्रतिक्रियाः विकासशील देशों के लिए सबक, व्यक्तिगत वित्त अनुसंधान केंद्र, ब्रिस्टल विश्वविद्यालय की रिपोर्ट।
3. बनर्जी ए, गुप्ता ए. वित्तीय समावेशन अभियान के रूप में प्रधानमंत्री जन धन योजनाः पश्चिम बंगाल का एक केस अध्ययन, फ़ैसला, 2019;46(4):335—352।
4. चौहान एसएस, पांडे जेसी, प्रधानमंत्री जन धन योजनाः वित्तीय समावेशन की दिशा में एक बड़ी छलांग, प्रबंधन और व्यवसाय अध्ययन में अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 2014;1(4):19—22।
5. शेट्टी एसएल, देवकर बीके। वित्तीय समावेशनः सरकार और आरबीआई के बीच मतभेद? आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक. 2014;49(35):12—15।
6. अग्रवाला वी, साहू टीएन, मैती एस. पीएमजेडीवाई और पीएमएमवाई के लक्ष्य को प्राप्त करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की दक्षता, अर्थशास्त्र और व्यापार अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल. 2022
7. हुसैन एचआई, हसीब एम, कमरुद्दीन एफ, डैको—पिकिविज़ जेड, स्ज़ेपेंस्का—वोस्ज़्याना के, थाईलैंड में पारिस्थितिक पदचिह्न पर वैश्वीकरण, आर्थिक विकास और प्राकृतिक संसाधनों की भूमिकाः गैर—रेखीय कारण अनुमानों से साक्ष्य, प्रक्रियाएँ, 2021;9(7):1103.
8. तमातम आर, दत्ता पी, दत्ता जी, लेसमैन एस. डेटा आवरण विश्लेषण का उपयोग करके 2008—2017 की अवधि में भारतीय बैंकिंग उद्योग का दक्षता विश्लेषण, बेंचमार्किंगः एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 2019;26(8):2417—2442।
9. टाइटस एम. द न्यू जन—धनः बदलाव क्यों जरूरी है? जर्नल ऑफ़ डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस. 2018;3(2):119—136।
10. शफ़ी एमकेएम, रेड्डी एमआर, भारत में वित्तीय समावेशन वृद्धिः प्रधान मंत्री जन—धन योजना (पीएमजेडीवाई) इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंस के संदर्भ में एक अध्ययन, 2016;2(1):33—41।

Cite this Article-

डॉ0 कृष्ण कुमार, "प्रधानमंत्री जन—धन योजना एवं समावेशी प्रभाव", Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal (RVIMJ), ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:1, Issue:05, December 2024.

Journal URL- https://www.researchvidyapith.com/

DOI- 10.70650/rvimj.2024v1i5004

Published Date- 06 December 2024